

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद् सचिवालय

पत्रांक-02/उ०नि०/ विविध (VAT)/14-09/2018.....
सेवा में,

दिनांक-.....

महालेखाकार (ले० एवं० ह०)
बिहार, पटना

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका CWJC No-10038/2020 एवं MJC No -293/2025 M/S Essell Lubricants and Chemicals Pvt Ltd Vs State Govt and Others में पारित न्यायादेश दिनांक-21.11.2025 के आलोक में इकाई को कुल 17,79,836/- (सत्रह लाख उन्नासी हजार आठ सौ छत्तीस रूपए) मात्र के वैट/ई०टी० प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

महाशय,

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दावा के आधार पर M/S Essell Lubricants and Chemicals Pvt Ltd, Aurangabad को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कुल 17,79,836/- (सत्रह लाख उन्नासी हजार आठ सौ छत्तीस रूपए) मात्र के वैट/ई०टी० प्रतिपूर्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) उक्त इकाई को MJC No-293/2025 में दिनांक-21.11.2025 को पारित न्यायादेश एवं मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प सं०-1785 दिनांक-06.08.2025 के आलोक में इस शर्त के साथ भुगतान किया जा रहा है कि अनुपालन आदेश पर LPA No-576/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

(ii) इकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर इकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जायेगी।

(iii) इकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/लीज/हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iv) किसी स्तर पर अनुदान की गणना करने में त्रुटि पाए जाने पर भुगतये अनुदान की राशि की वसूली नियमानुकूल की जायेगी।

(v) प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अगर कोई गलत सूचना दी जाती है अथवा ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है जो योग्य नहीं थी, अथवा इस नीति के किसी शर्त का उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन राशि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। विदित समय में बकाया राशि भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार भू-राजस्व की भांति सूद सहित बकाया राशि वसूली करेगी।

2. उक्त राशि का व्यय विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक-2505, दिनांक-04.09.2025 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या-23, उप शीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष-0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान M/S Essell Lubricants and Chemicals Pvt Ltd, Aurangabad को उनके Canara Bank के खाता संख्या-3135261000008, IFSC Code- CNRB0003135 में CFMS के माध्यम से की जाएगी।

7. प्रस्ताव पर उद्योग निदेशालय का आदेश ज्ञापांक-344, दिनांक-27.01.2021 के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक- 01/01/26

ज्ञापांक-02/उ०नि०/ विविध (VAT)/14-09/2018.....

91PB/01

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/M/S Essell Lubricants and Chemicals Pvt Ltd, Aurangabad को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।